सं0 I/ /2025–ई0 32532

प्रेषक,

डी0एम0एस0राणा,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कार्यक्रम निदेशक,
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन
नमामि गंगे उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक सितम्बर, 2025

विषय :– एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तराखण्ड के कार्यालय व्ययों हेतु राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 I/302739/2025-E-32532 दिनांक 02 जून, 2025 जिसके द्वारा एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तराखण्ड के कार्यालय व्ययों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के राज्यांश के शार्टफाल रू0 76.33 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है, को अवक्रमित करते हुए आपके पत्र सं0 501/राज्यांश–34(III)–2025–26 दिनांक 03 सितम्बर, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तराखण्ड के कार्यालय व्ययों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के राज्यांश के शार्टफाल रू0 76.33 लाख (रू0 छियत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) योजनाओं का क्रियान्वयन भारत सरकार के समय–समय पर दिए गये दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाय।

(ii) स्वीकृत धनराशि कार्यक्रम निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, नमांमि गंगे उत्तराखण्ड के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके यथा आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा आहरण से संबंधित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून तथा शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iv) केन्द्रांश/राज्यांश से निर्मित योजना के कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण भारत सरकार/शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

(v) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(vi) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(vii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(viii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(ix) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

(x) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(xi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। स्वीकृत आंगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व समक्ष अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर जी जाए।

(xii) उक्त कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xiii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(xiv) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश सं0 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(xv) GST देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाए।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान सं0 13 लेखाशीर्षक 2215– जलपूर्ति तथा सफाई –01–जलपूर्ति–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता–08–राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–00–56 –सहायक अनुदान (गैर सामान्य वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन आई0डी0 संलग्न से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)2025 दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)2025 दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहें है।

भवदीय,
Digitally signed by
Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 03-10-2025
14:25:04

(डी0एम0एस0राणा)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0–32532/(1)/2025, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Digitally signed by
Vivek Kumar Jain
Date: 03-10-2025
14:57:50

(विवेक कुमार जैन)
उप सचिव।